

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर, 2010

14 DEC 2010

कार्यालय जापन

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी निगमों/उपक्रमों/बैंकों/निकायों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रबोध, हिंदी प्रवीण, हिंदी प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को रुपए 100/- (रुपए एक सौ मात्र) परीक्षा शुल्क के रूप में देना होगा।

2. यह कार्यालय जापन आंतरिक वित प्रभाग (वित -II), गृह मंत्रालय की दिनांक 3-11-2010 के डायरी संख्या 73015/वित-II/10 के तहत दी गई सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।
3. यह आदेश कार्यालय जापन के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

विजय कुमार गुप्ता
(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग(अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय जापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्राधीन सभी सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत संगठनों/निगमों आदि के ध्यान में लाए)।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सरकार आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. सचिव, संसदीय राजभाषा समित, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
7. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
8. सभी संघ शासित क्षेत्र।
9. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
10. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
12. संयुक्त सचिव(राजभाषा) के निजी सचिव।
13. अतिरिक्त प्रतिशों (100)